

// तहसील तहसीलदार परस्ता- फिड //

परिशिष्ट 31

अनुसूचित जनजात  
अनुसूचित वर्ग

प्रथम पक्ष:- आर्द्रिफत पावरिक सेवा केंद्र द्वारा की रायकुमार चौधरी जिला प्रथम फिड

द्वितीय पक्ष:- तहसीलदार फिड जिला फिड

तम परकार तहसील फिड में समाधान एक दिन योधना डॉ दिनांक

24-4-2010 से निम्न शर्तों के अधीन प्रारंभ करने में सहमत है।

1. तहसील फिड में आर्द्रिफत पावरिक सेवा केंद्र की और से निम्न व्यक्त कार्य करेंगे।
  1. की प्रदीप भारद्वाज निवासी फिड
  2. की सुनील कुमार निवासी फिड
2. तहसीलदार द्वारा केंद्र हेतु का आवंटित धिया जायेगा।
3. का में आवश्यक फर्निचर की व्यवस्था तहसीलद्वारा की जायेगी।
4. स्टेनरी/पेयिणों की व्यवस्था तहसील द्वारा की जायेगी
5. का में बाहर सुविधाओं का तथा आवेदन पत्रों के साथ तैय्यन रिवे योम योम धाने धाने दस्तावेजों की पैटिन तहसील द्वारा की जायेगी।
6. प्रत्येक आवेदन पत्रों में सुविधा हेतु 2000 रुपये की रसीद काटी जायेगी विद्ये से प्रथम पक्ष की 5/- रुपये प्रति आवेदन प्राप्त होने आवेदनकर्ता से आवेदन लेने के पूर्व सहमत आवश्यक सहमत धांच कर निगे धारणे तथा उही दिन आवेदक को प्रथम पत्र धारित करना होगा।
7. रसीद/कमुक की व्यवस्था तहसीलद्वारा की जायेगी।
8. प्राप्त रसीद का बंधनता तहसीलदार फिड अनुविभागीय अधिकारी के नाम लिखते रूप में होगा।
9. प्रथम पक्ष की राशि का कुमताम पारिक रूप में किया जायेगा।
10. वह अनुसूचित अन्य कोईवाही सह मान्य होगा।
11. निम्न आवेदन पत्र निगे धारणे।
12. 1- मूल निवासी 2- आय 3- धारत 4-वरिय 5- छतराव की-1-वीनकत प्रतिदिन काटी गई रसीदों का हिसाब नाधिरे के धारत जमा कर पंजी पर प्राप्ती लेने।
13. पारिक कुमताम की रायकुमार चौधरी नि0 प्रैतगाव डॉ किया जायेगा
14. उपरोक्त धर से धर पर धर कोई तहसील कार्य करने के निगे कमुक ही तह अनुसूचित समाप्त धिया धर लेगा।

(Handwritten signature) 5/4/2010

अनुविभागीय अधिकारी  
परस्ता-फिड

परस्ता-फिड

अनुभाग अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन,  
ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण विभाग